न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बुनकर, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 117 /2022 (Bank Case)

केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– 502, टॉवर–ए, पैनिनसुला बिजनेस पार्क, लोवर पारेल, मुम्बई–400013 तथा क्षैत्रिय कार्यालय–प्लॉट नं. 13, 2nd फ्लोर, प्रताप नगर, खातीपुरा रोड, महाराजा होटल वबार, वैशाली नगर, जयपुर–(राज.)– 302021 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री शिवांग वशिष्ठ

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1 श्री नीरज सुमन पुत्र श्री मदन लाल (ऋणी)
पता– प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा उदयोगपुरी, कोटा (राज.)–326022
अन्य पता– अविनाश कार केयर देवली अरब, ग्रीन पम्प के पास, कोटा

2 श्रीमती अनिता सुमन पत्नि श्री नीरज सुमन (सहऋणी)
पता– प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा उदयोगपुरी, कोटा (राज.)–326022

3 श्रीमती चन्द्रा बाई पत्नि श्री मदन लाल सुमन (सहऋणी)
पता– प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा उदयोगपुरी, कोटा (राज.)–326022

4 श्री जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री मदन लाल (ऋणी)
पता– प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा उदयोगपुरी, कोटा (राज.)–326022

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18-08-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– 502, टॉवर–ए, पिनीनसुला विजनेस पार्क, लोवर पारेल, मुम्बई–400013 तथा क्षैत्रिय कार्यालय–प्लॉट नं. 13, 2nd फलोर, प्रताप नगर, खातीपुरा रोड, वैशाली नगर, जयपुर, (राज.) में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से जर्ये खाता संख्या LNMEKOT0-00044200 दिनांक 25.01.2020 को 18,68,579/– रूपये (अक्षरे अठारह लाख अडसठ हजार पॉच सौ उनासी रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री मदन लाल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा, उदयोग पुरी, जिला– कोटा (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग यार्ड हैं। जो कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 397, दिनांक 20.09.2016 से श्री जितेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मदन लाल सुमन के नाम जारीशुदा है। चतुःसीमा पूर्व में– प्लॉट नं 15, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं 18 है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.07.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 20,27,207/– (अक्षरे रूपये बीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ सात मात्र) बकाया रकम दिनांक 09.08.2021 तक शेष

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 16.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री मदन लाल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 14, रायॅल पार्क, रायपुरा, उदयोग पुरी, जिला– कोटा (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग यार्ड हैं। जो कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 397, दिनांक 20.09.2016 से श्री जितेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मदन लाल सुमन के नाम जारीशुदा है। चतु:सीमा पूर्व में– प्लॉट नं 15, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं 18 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 18-08-.2022 को सुनाया गया।

18/8/2022

(ओ.पी.बुनकर)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा (राज०)